मध्यप्रदेश विधान सभा

जुलाई, 2011 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 22 जुलाई, 2011 (आषाढ़ 31, 1933)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री कैलाश विजयवर्गीय, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमिटेड का तैंतीसवां वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे (दिनांक 31 मार्च, 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए) पटल पर रखेंगे.

(2) श्री पारस जैन, राज्यमंत्री खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 (क्रमांक 1 सन् 2010) की धारा 53 की उपधारा (5) की अपेक्षानुसार खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-13-1-2011-उन्तीस-2, दिनांक 22 जून, 2011 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री सुखदेव पांसे, सदस्य, सिवनी जिले के अन्तर्गत बेनगंगा नदी पर बनाया गया उच्च स्तरीय पुल क्षतिग्रस्त होने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति (एन.पी.), पारस सकलेचा, मानवेन्द्र सिंह, सदस्य, प्रदेश के निजी चिकित्सा महाविद्यालयों में आयोजित भर्ती परीक्षा में अनियमितता होने की ओर चिकित्सा शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) सर्वश्री कमल पटेल, विजयपाल सिंह, सदस्य, हरदा जिले में गेहूं खरीदी के भुगतान में अनियमितता होने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्री गिरिजा शंकर शर्मा, सदस्य, होशंगाबाद जिले के डोंगरी क्षेत्र में स्लम हेतु छोड़ी गई भूमि को राजस्व अभिलेख में अंकित न किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) श्री पुरूषोत्तम दांगी, डॉ. गोविन्द सिंह, श्री हेमराज कल्पोनी, सदस्य, राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ मुख्यालय पर धरने पर बैठे कार्यकर्ताओं पर लाठी चार्ज किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, सदस्य, ग्वालियर में पेंशन भोगियों को पेंशन न मिलने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(7) डॉ. बाबूलाल वर्मा, सदस्य, शाजापुर जिले के अरनियाकला से तिलावद ग्राम के रास्ते पर अतिक्रमण किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(8) श्री राजेन्द्र फूलचंद वर्मा, सदस्य, देवास जिले की काली सिंध वृहद परियोजना से अनेक ग्राम डूब से प्रभावित होने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(9) श्री गोविन्द सिंह राजपूत, सदस्य, सागर जिले की जनपद पंचायत राहतगढ़ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा दुकान निर्माण में अनियमितता किये जाने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(10) सर्वश्री प्रेमनारायण ठाकुर, पुरुषोत्तम दांगी, सदस्य, प्रदेश में सेवा निवृत्त अधिकारियों व कर्मचारियों को संविदा के आधार पर नियुक्ति दी जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(11) सर्वश्री सुदर्शन गुप्ता (आर्य), डॉ. गोविन्द सिंह, श्री के.पी. सिंह "कक्काजू", सदस्य, ग्वालियर की चिटफंड कम्पनियों द्वारा निवेश की राशि हड़पी जाने की ओर वित्त मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(12) श्री मानवेन्द्र सिंह, सदस्य, छतरपुर जिले में लूटपाट की अनेक घटनाएँ घटित होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(13) सर्वश्री प्रियव्रत सिंह, पुरुषोत्तम दांगी, कुंवर विक्रम सिंह (नातीराजा), सदस्य, राजगढ़ जिले के पीलूखेड़ी स्थित वाटर फिल्टर प्लांट से क्लोरीन गैस का रिसाव होने की ओर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

-2-

(14) श्री ध्रुवनारायण सिंह, सदस्य, नगर निगम भोपाल द्वारा विकास शुल्क की अधिक वसूली किये जाने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(15) श्री सुखदेव पांसे, सदस्य, बैतूल जिले के मुलताई में पिछड़े वर्ग के जाति प्रमाण पत्र न बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(16) डॉ. गोविन्द सिंह, श्री पुरुषोत्तम दांगी, रामनिवास रावत, सदस्य, केन्द्र प्रवर्तित योजना के तहत ब्लेक बोर्ड के कलर पुताई में अनियमितता होने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(17) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, सीहोर जिले में काले हिरणों का अवैध शिकार किये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(18) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, उज्जैन जिले के ग्राम जीयाजीगढ़ में एक महिला के साथ सामूहिक बलात्कार होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(19) सर्वश्री संतोष जोशी, राजकुमार उरमलिया, रामगरीब कोल, सदस्य, जबलपुर जिले के अनेक ग्रामों में अवैध खनिज आयरन का उत्खनन होने की ओर राज्य खनिज साधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(20) डॉ. गोविन्द सिंह, श्री पुरूषोत्तम दांगी, सदस्य, दमोह जिले की हिनोतिया पुलिस द्वारा की गई पिटाई से एक युवक की मौत होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(21) डॉ. गोविन्द सिंह, श्री पुरुषोत्तम दांगी, सदस्य, प्रदेश मे मोरों की उचित देखभाल न होने से मोरों की मौत होने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(22) डॉ. गोविन्द सिंह, श्री पुरुषोत्तम दांगी, सदस्य, होशंगाबाद जिले के तवा बांध में राखड़ जमा होने से भराव क्षमता कम होने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे

(23) डॉ. गोविन्द सिंह, सर्वश्री रामनिवास रावत, पुरुषोत्तम दांगी, सदस्य, भिण्ड जिले के लहार में पुजारी की हत्या किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(24) डॉ. गोविन्द सिंह, पुरूषोत्तम दांगी, सदस्य, छिंदवाड़ा जिले के वन परिक्षेत्र बटकाखापा में सागौन के वृक्षों की अवैध कटाई होने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(25) सर्वश्री पुरूषोत्तम दांगी, आरिफ अकील, सदस्य, प्रदेश में नसबंदी लक्ष्य को पूरा करने हेतु कुंवारों की नसबंदी किये जाने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(26) श्री प्रियव्रत सिंह, सदस्य, राजगढ़ जिले के खिलचीपुर एवं जीरापुर में कृषकों को खाद न मिलने से उत्पन्न स्थिति की ओर किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(27) श्री प्रियव्रत सिंह, सदस्य, राजगढ़ जिले के गणेशपुरा तालाब से पानी की चोरी होने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(28) श्री रामनिवास रावत, डॉ. गोविन्द सिंह, पुरूषोत्तम दांगी, सदस्य, प्रदेश में कृषकों को खाद-बीज न मिलने से उत्पन्न स्थिति की ओर किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(29) श्री अजय सिंह, सदस्य, सीधी जिले की महान परियोजना की नहर क्षतिग्रस्त होने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(30) श्री आरिफ अकील, सदस्य, प्रदेश में नकली नोटों का कारोबार होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(31) श्री सुखदेव पांसे, सदस्य, बैतूल में एक व्यापारी के घर लूट की घटना होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(32) श्री दिलीप सिंह गुर्जर, सदस्य, उज्जैन जिले की नागदा पुलिस द्वारा निर्दोष युवकों के साथ अमानवीय व्यवहार किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(33) श्री ओमकार सिंह मरकाम, सदस्य, डिण्डोरी उत्पादन वन मंडल क्षेत्र में मजदूरों को मजदूरी न दिये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(34) श्री अजय सिंह, सदस्य, प्रदेश में इन्ट्रीग्रेटेड हाऊसिंग स्लम डेव्हलपमेंट स्कीम के तहत चल रही योजना असफल होने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(35) श्री अजय सिंह, सदस्य, प्रदेश में कृषकों को मक्के का बीज महंगे दामों में दिये जाने की ओर किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(36) श्री आत्माराम पटेल, सदस्य, कसरावद नगर में विद्यालय भवन की दीवार गिरने से एक मजदूर की मौत होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(37) श्री अजय सिंह, सदस्य, रीवा जिले के चयनित हितग्राहियों को डीजल पंप एवं विद्युत पंप न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर आदिम जाति कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(38) सर्वश्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, मूल सिंह (दादा भाई), शिवनारायण मीना, सदस्य, गुना मुख्यालय के ग्राम पाटई में सिक्ख संत का अपहरण किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(39) श्री राजकुमार उरमलिया, सदस्य, कटनी जिले में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी न होने की ओर राज्यमंत्री, खाद्, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(40) श्री रामनिवास रावत, सदस्य, श्योपुर जिले के ग्राम लाड़पुरा में मनरेगा के तहत कूप निर्माण में फर्जी आहरण किये जाने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(41) श्री प्रदीप जायसवाल, सदस्य, बालाघाट जिले की बंजर नदी परियोजना में पदस्थ अनुविभागीय अधिकारी द्वारा भ्रष्टाचार किये जाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(42) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, भिण्ड जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दबोह में पदस्थ चिकित्सक के साथ अभद्र व्यवहार किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(43) श्री पारस सकलेचा, सदस्य, रतलाम जिले के छात्रावास में सामान खरीदी में अनियमितता किये जाने की ओर आदिम जाति कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(44) श्री पारस सकलेचा, सदस्य, रतालम जिले में खाद्यान्न की कालाबाजारी होने की ओर राज्यमंत्री, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(45) श्री संतोष जोशी, सदस्य, गुना जिले के उकावद पुलिस अभिरक्षा में एक युवक की मौत होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(46) श्री बिसाहूलाल सिंह, सदस्य, सिवनी जिले के केवलारी में अम्बेडर सामुदायिक भवन का अपूर्ण निर्माण होने की ओर आदिम जाति कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(47) श्री गोविन्द सिंह राजपूत, सदस्य, सागर जिले के पशुपालन केन्द्र रतौना द्वारा पशुओं हेतु भूसा खरीदी में अनियमितता होने की ओर पशुपालन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(48) डॉ. गोविन्द सिंह, श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, सदस्य, भोपाल के कल्पना नगर में आवास आवंटन में शासन को हो रही हानि की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(49) श्री एदल सिंह कंसाना, सदस्य, मुरैना जिले में फर्जी मुठभेड़ बनाकर युवकों की हत्या किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(50) श्री राव देशराज सिंह यादव, सदस्य, गुना में एक व्यक्ति की हत्या होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(51) श्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, सदस्य, धार जिले के पटवारी हल्का 15 स्थित शासकीय भूमि का विक्रय होने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(52) श्री ध्रुवनारायण सिंह, सदस्य, औद्योगिक केन्द्र विकास निगम द्वारा प्रिमियम की राशि का दुरूपयोग किये जाने की ओर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(53) श्री विश्वेश्वर भगत, सदस्य, बालाघाट जिले के कटंगी में एक परिवार के साथ मारपीट व अपहरण होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4 . प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में वृद्धि का प्रस्ताव

श्री नागेन्द्र सिंह (गुढ़), सभापति, विशेषाधिकार समिति निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे -

"विशेषाधिकार समिति को संदर्भित विशेषाधिकार भंग की सूचनाओं पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक की वृद्धि की जाए ".

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री अभय कुमार मिश्रा, सदस्य, रीवा जिले के -
- (क) ग्राम शाहपुर को उप तहसील का दर्जा दिलाये जाने,
- (ख) ग्राम सेमरिया में शासकीय कालेज की स्वीकृति दिलाये जाने, तथा
- (ग) ग्राम बोदा, मनकहरी के मार्ग का निर्माण कराये जाने,

(2) श्री मोतीलाल तिवारी, सदस्य, सतना जिले के -
- (क) ग्राम लहागांव, पड़रहाई तालाब का विस्तारीकरण कराये जाने,
- (ख) ग्राम जूरा के बड़ा तालाब का विस्तारीकरण किये जाने,
- (ग) ग्राम तिंदूहटा के नया तालाब का विस्तारीकरण किये जाने, तथा
- (घ) ग्राम सुकवारी के हनुमान तालाब का विस्तारीकरण किये जाने,

(3) श्री सुदामा सिंह सिग्राम, सदस्य, अनूपपुर जिले के -
- (क) ग्राम अमदरी के हाई स्कूल का उन्नयन किये जाने, तथा
- (ख) ग्राम पोड़की के शासकीय हाई स्कूल का उन्नयन किये जाने,

(4) श्री बृजेन्द्र सिंह, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के -
- (क) ग्राम डिरगुवां से जेरोन तक मार्ग निर्माण किये जाने,
- (ख) ग्राम जीरोन से मोहनगढ़ तक मार्ग निर्माण किये जाने, तथा
- (ग) ओरछा से जामनी नदी के बीच पुल/पुलिया निर्माण किये जाने,

(5) डॉ. निशिथ पटेल, सदस्य, कटनी जिले के -
- (क) तहसील रीठी के कृषकों को सूखा राहत राशि दिलाये जाने, तथा
- (ख) ग्राम बिलहरी के हितग्राहियों को नवीन राशन कार्ड प्रदान किये जाने,

(6) चौधरी मेर सिंह, सदस्य, छिन्दवाड़ा जिले के -

(क) ग्राम समसवाड़ा, बाँका -नागनपुर, भिमालगोंदी के हाई स्कूलों का उन्नयन किये जाने,

(ख) ग्राम नोनीकला, सिरस, मोरखा के मिड़िल स्कूलों का उन्नयन किये जाने, तथा

(ग) ग्राम चौरई एवं बिछुआ के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में डॉक्टरों की नियमित सेवाएं उपलब्ध कराये जाने,

(7) श्री राजकुमार उरमलिया, सदस्य, रीवा जिले के -

(क) ग्राम शाहपुर के टिकरी टोला के बिगड़े हुये हैण्ड पंपों की मरम्मत कराये जाने, तथा

(ख) ग्राम शाहपुर के टिकरी टोला में नया विद्युत ट्रान्सफार्मर लगाये जाने,

(8) श्री रमेश प्रसाद खटीक, सदस्य, शिवपुरी जिले के ग्राम मगरोनी आमोल पढ़ा में विद्युत सब स्टेशन का कार्य प्रांरभ कराये जाने, तथा

(9) श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, सदस्य, ग्वालियर शहर के वार्ड क्रमांक 15 न्यू कालोनी नं. 2 की सड़क एवं नालियों का निर्माण कराये जाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

निर्धारित समय

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

30 मि. (1) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 28 सन् 2011)पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

1 घन्टा (2) श्री राघवजी, वाणिज्यिक कर मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश वेट (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 29 सन् 2011) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

7. अशासकीय संकल्प

(1) श्री रामलल्लू वैश्य, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

15 मि. "यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि जबलपुर से सिंगरौली तक प्रातःकालीन एवं सिंगरौली से जबलपुर तक सायंकालीन इन्टर-सिटी ट्रेन चलाई जाय."

(2) श्री विश्वास सारंग, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

30 मि. " सदन का यह मत है कि मध्यप्रदेश में निजी अस्पताल विनियामक संस्था का गठन किया जाय जो निजी अस्पतालों द्वारा दी जाने वाली सुविधा और इसके बदले ली जाने वाली फीस का युक्तियुक्त पूर्ण निर्धारण कर सके."

(3) श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

35 मि. "सदन का यह मत है कि ग्वालियर स्थित बंद जे.सी. मिल के मजदूरों को उनकी देनदारी का भुगतान मिल की भूमि बेच कर किया जाय".

(4) श्री के.पी.सिंह "कक्काजू", सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

35 मि. " सदन का यह मत है कि शिवपुरी जिले कि पिछोर खनियाधाना तथा करेरा तहसील एवं अशोक नगर जिले की चंदेरी तहसील को बुंदेलखंड पैकेज में शामिल किया जाय."

(5) डॉ. कल्पना परुलेकर, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगी -

35 मि. "सदन का यह मत है कि प्रदेश में पूर्णतः या आंशिक रूप से शराबबंदी करने के संबंध में नई आबकारी नीति एवं महिला नीति का निर्धारण किया जाय."

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 21 जुलाई, 2011